संशोधन

अध्याय 1 (अ) में कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन भवन **भोपाल के प्रत्र क्रमांक/प्रशा-11/क्षे.स्था.2**/1640 भोपाल दिनांक 24.04.2026 के परिपालन में **नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 1.3.2 की कंडिका** 3 के पैरा में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

1.3.2 आरक्षण से संबंधित स्पष्टीकरण:-

1. **आरक्षित** वर्ग अर्थात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से **कमजोर** वर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय **अधिकारी** द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/ परीक्षण के **समय** प्रस्तुत करना होगा।
2. **भूतपूर्व सैनिक वर्ग** के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-**पत्रों के सत्यापन**/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
3. **म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन** विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-22/2019/ आ.प्र./एक **दिनांक 30.05.2019 अनुसार** आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंधः-यदि आवेदक जिला **श्योपुर, मुरैना, दतिया,** ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की **सहारिया/सहरिया** आदिम **जनजाति, जिला मण्डला**, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की **बैगा** आदिम **जनजाति तथा जिला** छिन्दवाडा एवं सिवनी की **भारिया** जनजाति का है, वनरक्षक (कार्यपालक) के **लिये आवेदन** करता है और उस पद के लिये विहित की गई **न्यूनतम अर्हता** रखता है, तो उसे **भर्ती** प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा ' '

मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र **(संलग्न प्रारूप 02 अनुसार),** आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु जिले के नोडल वनमण्डल अधिकारी को प्रेषित करेगें। **(पते की सूची संलग्न है)**

परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही वन विभाग द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के पीटीजी से शेष् बचे अजजा प्रवर्ग के रिक्त पदों की सूचना कर्मचारी चयन मण्डल की बेवसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी । जिसके कारण अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा ।

होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण का प्रारूप संलग्न 03 अनुसार है।

<u>संशोधन</u>

अध्याय 1 (ब) में म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल के प्रत्र क्रमांक/वविनि/प्रशा./2026/432 भोपाल दिनांक 24.04.2026 के परिपालन में नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 1.3.2 की कंडिका 3 के पैरा **में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-**

1.3.2 **आरक्षण से संबंधित** स्पष्टीकरण:-

1. **आरक्षित वर्ग अर्थात्** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर **वर्ग के अभ्यर्थियों को** मध्यप्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा **जारी स्थाई जाति प्रमाण**-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत करना **होगा।**
2. **भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अभ्यर्थियों** को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों **के सत्यापन/परीक्षण के समय प्रस्तुत** करना होगा।
3. **म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन** विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ 7-22/2019/ आ.प्र./एक दिनांक 30.05.2019 **अनुसार आदिम** जनजातियों के लिये विशेष उपबंधः-यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, **भिण्ड**, **शिवपुरी**, **गुना** तथा अशोकनगर की **सहारिया/सहरिया** आदिम जनजाति, जिला मण्डला, **डिण्डौरी**, **शहडोल**, उमरिया, बालाघाट तथा अनुपपूर की **बैगा** आदिम जनजाति तथा जिला छिन्दवाडा एवं सिवनी की **भारिया** जनजाति का है, क्षेत्ररक्षक (कार्यपालक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई **न्यूनतम अर्हता** रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।

   मध्यप्रदेश के विशेष आदिम जनजाति समुदाय जैसे बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजातियों के ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता को पूर्ण करते हैं, वे अनुसूचित जनजाति संवर्ग में विज्ञापित पदों के विरूद्ध अपने आवेदन पत्र **(<u>संलग्न प्रारूप 02 अनुसार</u>)**, आवेदन भरने की प्रस्तावित अन्तिम तिथि तक हार्ड कापी में समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों को संलग्न करते हुये सीधे नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हेतु नोडल संभागीय प्रबंधक म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, को प्रेषित करेगें। **(<u>पते की सूची संलग्न है</u>)**

   परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि के पूर्व इस प्रकार प्राप्त आवेदनों के परीक्षण उपरान्त नियुक्ति संबंधी कार्यवाही म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, भोपाल द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। इसके पश्चात् अनुसूचित जनजाति के पीटीजी से शेष् बचे अजजा प्रवर्ग के रिक्त पदों की सूचना कर्मचारी चयन मण्डल की बेवसाईट पर प्रदर्शित की जावेगी । जिसके कारण अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी जो विशेष आदिम जनजाति (पीटीजी) समुदायों के अतिरिक्त अन्य अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये बंधनकारी होगी। इस प्रकार अनुसूचित जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध बैगा, सहारिया/सहरिया एवं भारिया जनजाति समुदाय के अभ्यर्थियों की नियुक्ति उपरान्त शेष रिक्तियों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिये मध्यप्रदेश शासन के आरक्षण नियमानुसार परीक्षा परिणाम जारी किया जायेगा ।

   होमगार्ड स्वयंसेवी नगर सैनिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण का <u>प्रारूप संलग्न 03 अनुसार</u> है।

24/04/26